

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"  
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2022/230

राज. भू. राजस्व अधिनियम के संग  
अभियान-2021

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

= महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम देवपुरी की  
जमाबन्दी सम्बत् 2015 से 2018 के खाता संख्या 21450  
में रामेश्वर सिंह फाजा के लाला राम प्रसाद  
रामेश्वर प्रसाद सिंह खानाराम देवरा

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।



दिनांक:-

(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम देवपुरी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2015 से 2018 के  
खाता संख्या 21450 में प्रार्थी का नाम रामेश्वर सिंह फाजा के लाला राम प्रसाद दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न  
रामेश्वर सिंह फाजा के लाला राम प्रसाद व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम रामेश्वर प्रसाद सिंह खानाराम देवरा  
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. ....

पटवारी देवपुरी

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा.भू.राज. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर  
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
पर रिपोर्ट पटवारी लाला राम प्रसाद व भू.अ.नि. देवपुरी एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर  
ग्राम लाला राम प्रसाद की जमाबन्दी सम्बत् 2015 से 2018 की खाता संख्या 21450 में प्रार्थी का  
नाम रामेश्वर सिंह फाजा के लाला राम प्रसाद के बजाय रामेश्वर प्रसाद सिंह खानाराम देवरा किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम लाला राम प्रसाद जमाबन्दी सम्बत् 2015-2018 खाता  
संख्या 21450 में दर्ज प्रार्थी का नाम रामेश्वर सिंह फाजा के लाला राम प्रसाद के स्थान पर रामेश्वर प्रसाद सिंह खानाराम देवरा संशोधन के  
आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी

प्रभारी अधिसूचना  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

dv